संस्थाओं के कार्य एवं कर्तव्य

राजीव गाधी शिक्षा मिशन एक पजीकृत सस्था है। समितियों के पजीयक/समितियों के रजिस्ट्रार छत्तीसगढ. के हस्ताक्षर से ''राजीव गांधी शिक्षा मिशन'' की स्थापना मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (सन् 1973 का क्र. 44) के अधीन 19 मार्च 2001 को की गई। इसका पंजीयन क्रमांक संरा./जिला रायपुर/156 है। पंजीयन प्रमाण पत्र परिशिष्ट – 1 के रूप में संलग्न है।

मिशन के साधारण सभा में माननीय मुख्यमत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन पदेन सभापति है तथा स्कूल शिक्षा एवं आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री पदेन उप सभापति है। छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव एवं आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण, वित्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव पदेन सदस्य है। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव पदेन सदस्य सचिव है। आयुक्त, सूचना एवं प्रकाशन, संचालक एस.सी.ई.आर.टी., संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, मिशन संचालक राजीव गॉधी शिक्षा मिशन एवं अतिरिक्त मिशन संचालक रा.गां. शि मि. पदेन सदस्य है। मनोनीत सदस्यों में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत् व्यक्ति, जन प्रतिनिधि, पचांयत प्रतिनिधि शामिल है। इस सभा में मानव संसाधन विकास मत्रांलय, भारत सरकार द्वारा मनानीत सदस्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत विभिन्न श्रेणियों के व्यक्ति शामिल है। मिशन की कार्यकारिणी समिति के पदेन अध्यक्ष, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन है। राज्य शासन के विभिन्न विभागों के सचिव पदेन सदस्य है। राजीव गॉधी शिक्षा मिशन के सचांलक पदेन सदस्य सचिव है एवं माननीय मुख्य मंत्री द्वारा मनोनीत विधायक एवं पंचायत प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल है।

पदेन सदस्य

सभापति :	माननीय मुख्यमत्री, छत्तीसगढ. शासन
उपसभापति :	1. माननीय मंत्री, छ.ग. शासन, स्कलू शिक्षा विभाग
	2. माननीय मंत्री, छ.ग. शासन अ.जा./अ.जन.जाति/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
सदस्य :	1. माननीय मुख्य सचिव, छ.ग. शासन
सदस्य सचिव :	1. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

सदस्य :

1. सचिव, अ.जा. एवं अनु. जनजाति विकास विभाग
2. सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग
3. सचिव, छ.ग. शासन पचांयत एवं ग्रामीण विकास विभाग
4. सचिव, छ.ग. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग
5. आयुक्त, सूचना एवं प्रकाशन,
6. संचालक, एस.सी.ई.आर.टी.
7. मिशन सचांलक, राजीव गाधीं शिक्षा मिशन, राज्य कार्यालय
8. संचालक, लोक शिक्षण सचांलनालय
9. अपर मिशन संचालक, राजीव गाधीं शिक्षा मिशन, राज्य कार्यालय

राजीव गॉधी शिक्षा मिशन के अतंर्गत साधारण सभा के सदस्यों का मनोनयन मिशन के सभापति माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर द्वारा किया जाता है ।

राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सूची –

राजीव गांधी शिक्षा मिशन, राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सूचीः–

1. मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, – अध्यक्ष
   महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, – सदस्य
   वित्त विभाग महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर
3. सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, – सदस्य
   महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर – सदस्य
4. सचिव, छ.ग. शासन, – सदस्य
   अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग, – सदस्य
   महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर
5. सचिव एवं आयुक्त ,छ.ग. शासन, – सदस्य
   जनसम्पर्क विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, – सदस्य
   पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
   महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर
7. सचिव छ.ग. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, – सदस्य
   महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर
8. संचालक लोकशिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन – सदस्य

9. संचालक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर — सदस्य सचिव
10. मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, राज्य परियोजना कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर — सदस्य
11. अतिरिक्त मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, राज्य परियोजना कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर — सदस्य

विशेष आमंत्रित सदस्य :–

12 सचिव छ.ग. शासन, श्रम विभाग महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर — सदस्य
13 सचिव, छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर — सदस्य

भारत शासन के प्रतिनिधिः–

14 उप सचिव, भारत शासन, प्रारंभिग शिक्षा एवं साक्षरता मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली — सदस्य
15 राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली — सदस्य
16 वित्तीय सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली — सदस्य
17 नोडल आफिसर, एस.एस.ए. (छत्तीसगढ़) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान श्यामला हिल्स, भोपाल (म.प्र.) — सदस्य

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मनोनीत सदस्य :–

18. माननीय डॉ. बालमुकुन्द देवांगन, पूर्व विधायक, विधान सभा खेरथा जिला–दुर्ग (दुर्ग) — सदस्य
19. माननीय श्री आनंद सिंघानिया, पूर्व अध्यक्ष, नगर पंचायत, खम्हरिया जिला–दुर्ग (दुर्ग) — सदस्य

राजीव गांधी शिक्षा मिशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैः–

राजीव गांधी शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़ में प्राथमिक, माध्यमिक एवं बुनियादी शिक्षा के लोकव्यापीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गठित एक स्वायत्त और स्वतंत्र संस्था हैं। इसका उद्देश्य बुनियादी शिक्षा का लोकव्यापीकरण अर्थात् एक समग्र कार्यक्रम जिसके अंतर्गत शामिल है –

- 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी पात्र बच्चों एवं 14 वर्ष से अधिक आयु के प्रौढों को बुनियादी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना।
- औपचारिक या औपचारिकेत्तर पद्धति से बुनियादी स्तर की पढ़ाई पूरी होनी तक सभी बच्चों/प्रौढ़ की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- सीखने का न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति सुनिश्चित करना।
- महिला समानता एवं उनके सामर्थ्य में विकास की प्राप्ति हेतु शिक्षा प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन करना।
- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वंचित वर्गों के बच्चों /पौढों को बुनियादी शिक्षा में समान रूप से भाग लेने के लिए समर्थ बनाने हेतु उपाय करना।
- बुनियादी शिक्षा को जन साधारण की जरूरतों, संस्कृति, आजीविका और रहन–सहन से जोड़ना।
- बुनियादी शिक्षा के विभिन्न घटकों के मध्य समन्वय स्थापित करना।

राजीव गाधी शिक्षा मिशन अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जहां एक ओर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा के विकास के क्षेत्र में प्रयासरत हैं वही शैक्षणिक सस्थाओं के विकास हेतु एवं बच्चे अच्छे वातावरण में पढ़ाई कर सके इस बाबत् विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु भी प्रयास करता है।

वर्तमान में मिशन अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत् महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा हैं जो कि निम्नानुसार है :–

- **सर्व शिक्षा अभियान क्या है** :
  - प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा1 से 8 तक) के लिए एक निश्चित समय–सीमा सहित एक कार्यक्रम।
  - समूचे देश में स्तरीय बुनियादी शिक्षा की मागं की पूर्ति के लिए अपेक्षित कार्यवाही।

- बुनियादी शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का एक अवसर।
- प्रारभिक स्कूलों के प्रबधं में पचांयती राज सस्ं थानों, स्कूल प्रबधं समितियों ग्राम और शहरी मलिन बस्ती स्तर की शिक्षा समितियों, माता–अध्यापक संघो, अभिभावक–अध्यापक संघों, जनजतीय स्वायत्ता परिषदों तथा अन्य मूलभूत स्तरीय तत्रों को प्रभावी रूप से समायोजित करने का एक प्रयास।
- समूचे देश में सार्वजनीन प्रारंभिक शिक्षा के लिये राजनीतिक इच्छा शक्ति की एक अभिव्यक्ति
- केन्द्रीय राज्य और स्थानीय सरकार के बीच एक भागीदारी।
- राज्यों को प्रारभिक शिक्षा की स्वयं अपनी परिकल्पना विकसित करने का एक अवसर।

➢ सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य :

सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक प्रारभिक शिक्षा प्रदान करना है साथ ही स्कूलों के प्रबंध में समुदाय की सक्रिय सहभागिता सहित सामाजिक, क्षेत्रीय और लैगिक विषमताओं को पाटने का एक दूसरा लक्ष्य भी है।

➢ सर्व शिक्षा अभियान उद्देश्य :

- 2003 तक सभी बच्चें स्कूल, शिक्षा गारटी केन्द्र वैकल्पिक स्कूल "वापिस स्कलू चलो'' शिविर में शामिल।
- सभी बच्चों द्वारा पॉच वर्ष की प्राथमिक स्कूली शिक्षा पूरी करना।
- सभी बच्चों द्वारा आठ वर्षो की प्रारभिक स्कूली शिक्षा पूरी करना।
- जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक स्तर की प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देना।
- नवीन प्राथमिक शाला खोलने की स्वीकृति – ऐसे शिक्षा सुविधा विहीन बसाहटे जिनकी दूरी निकटतम प्राथमिक एवं शिक्षा गारंटी स्कूल से एक किलो मीटर से अधिक हों तथा वहां 6 से 11 वर्ष आयु समूह के पढने़ वाले आदिवासी क्षेत्रों में 25 बच्चें एव गैर आदिवासी क्षेत्रों में 40 बच्चें उपलब्ध होने पर नवीन प्राथमिक शाला खोलने का प्रावधान है ।

- शिक्षा गारंटी शाला का प्राथमिक शाला में उन्नयन – ऐसे शिक्षा गारंटी शालाएँ जहॉ 30 या उससे अधिक बच्चें दर्ज है, प्राथमिक शाला में उन्नयन किया जाता है ।
- उच्च प्राथमिक शाला खोलने की स्वीकृति – सर्व शिक्षा अभियान के अतंर्गत तीन किलो मीटर की परिधि में उच्च प्राथमिक शाला की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है। विशेष परिस्थितियों में एवं भौगोलिक दृष्टिकोण तथा छात्र संख्या अपेक्षित होने पर दो प्राथमिक शालाओं पर एक उच्च प्राथमिक शाला खोलने की अनुमति भारत शासन द्वारा दी जाती है ।
- निःशुल्क पाठय् पुस्तकों का वितरण – शासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं तथा अनुदान प्राप्त मदरसो के लिये कक्षा पहिली से कक्षा आठवीं तक अध्ययनरत सभी वर्ग की बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति वर्ग के बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदान किया जाता है ।
- शिक्षकों के पदों की स्वीकृति – प्रत्येक प्राथमिक शाला में न्यूनतम दो शिक्षक तथा शिक्षक छात्र अनुपात 1 अनुपात 30 में शिक्षक उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उच्च प्राथमिक शाला के अंतर्गत प्रत्येक शाला के लिये न्यनूतम तीन शिक्षक तथा शिक्षक छात्र अनुपात 1 अनुपात 35 में शिक्षक उपलब्ध कराने का प्रावधान है ।
- 2010 तक शत्–प्रतिशत बच्चों को शिक्षा में बनाए रखना।